कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला सामान्य (शस्त्र) प्रशाखा)

-:: ***आ दे श*** ::-

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक श्री डोमन लाल सिंह, पिता–स्व0 सहांगु लाल सिंह, ग्राम–सुहिया, पो0–मटियारी, थाना–टेढ़ागाछ, जिला–किशनगंज की शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–83/TG वर्ष 2011 तक के लिए नवीकृत है। उन्होंनें वर्ष 2012 से 2014 तक के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु दिनांक 12.06.2012 को आवेदन पत्र समर्पित किया है। ।

शस्त्र अनुज्ञप्ति का ससमय नवीकरण नहीं कराने के सम्बन्ध में इस कार्यालय का ज्ञापांक 1783/जि. सा.(शस्त्र), दिनांक 13.12.2012 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा की गई। दिनांक 04.01.2013 को उन्होंने अपना कारण पृच्छा समर्पित किया है, जिसमें बिमार रहने के कारण निर्धारित समय पर शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराने की बात कहीं गयी।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के लिखित प्राधिकार पत्र के साथ अन्य व्यक्ति द्वारा भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण के लिए वांछित शुल्क के साथ आवेदन–पत्र दाखिल कराया जा सकता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

इस प्रकार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति संख्या–83/TG द्वारा शस्त्र अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली के प्रावधानों / शर्तो का उल्लंघन किया गया है एवं बगैर शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण कराये एक लम्बी अवधि तक अवैध रूप से अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित किया गया है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियमावली के प्रावधानों शर्तों का उल्लंघन एवं शस्त्र धारित करने के आरोप में श्री डोमन लाल सिंह, पिता–स्व0 सहांगु लाल सिंह, ग्राम–सुहिया, पो0–मटियारी, थाना–टेढ़ागाछ, जिला–किशनगंज के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–83/TG शस्त्र DBBL Gun No-7803054 by I.O.F. को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3)(D) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए शस्त्र DBBL Gun No-7803054 by I.O.F. को निकटवर्ती थाना में जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक...259...../जि0सा0(शस्त्र), किशनगंज, दिनांक..27../..12../2013

प्रतिलिपि :: शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री डोमन लाल सिंह, पिता–स्व0 सहांगु लाल सिंह, ग्राम–सुहिया, पो0–मटियारी, थाना–टेढ़ागाछ, जिला–किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि शस्त्र को अविलम्ब संबंधित थाना में जमा कर मूल अनुज्ञप्ति के साथ अनुपालन की सूचना दें।

प्रतिलिपि :: पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र को अविलम्ब सम्बन्धित थाना में जमा करवाने हेतु थानाध्यक्ष को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबन्धन (आई.टी.), किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल दण्डधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी जिला दण्डाधिकारी (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।